(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 24 **नई दिल्ली** 22 **फरवरी 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार जेएनपीटी में कंटेनर टर्मिनलों पर आईसीडी कंटेनरों के अंतर–टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालनों के लिए प्रभारों के संशोधन हेतु जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के प्रस्ताव का निपटान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/23/2007–जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास ——————— आवेदक

आदेश

(जनवरी, 2008 के 28वें दिन पारित)

यह मामला जेएनपीटी में अंतर्देशीय निकासी डिपो (आईसीडी) कंटेनरों के अंतर–टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालनों (आईटीआरएचओ) के लिए प्रभारों के संशोधन हेतु जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 28 जून, 2007 द्वारा जेएनपीटी, न्हावा–शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) और गेटवे टर्मिनल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) के टर्मिनलों पर रेल द्वारा संचालित आईसीडी कंटेनरों की संपूर्ण मात्रा पर आईटीआरएचओ के लिए तदर्थ आधार पर 15 फरवरी, 2007 से 14 अगस्त, 2007 तक रू0 400/– प्रति टीईयू की अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए जेएनपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित किया था। यह दर 15 फरवरी, 2007 से प्रत्येक छह माह में समीक्षा किए जाने की शर्त पर थी।

3.1. जेएनपीटी को आदेश दिनांक 28 जून, 2007 द्वारा सलाह दी गई थी कि वह 14 अगस्त, 2007 के बाद की अवधि के लिए अपने टर्मिनल और एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल पर आईटीआरएचओ के लिए प्रभार्य दर के निर्धारण के लिए लागत और अन्य प्रासंगिक ब्योरे भेजे। इस प्राधिकरण ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि वही कोर समिति 15 अगस्त, 2007 से अगले छह माह के लिए वसूल की जाने वाली दर पर विचार करे जिसने रू0 400/– प्रति टीईयू की दर की सिफारिश की थी। इस परिप्रेक्ष्य में, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2007 द्वारा 15 अगस्त, 2007 से 14 फरवरी, 2008 तक की छह माह की अवधि के लिए रू0 440/– प्रति टीईयू की वसूली का अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। जेएनपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 30 जुलाई, 2007 में कही गई मुख्य बातें निम्नवत् हैं:

(i). जेएन पत्तन टर्मिनलों के माध्यम से गुजरने वाली संपूर्ण आईसीडी मात्रा के 30 प्रतिशत पर विचार करते हुए, 15 फरवरी, 2007 से 14 अगस्त, 2007 तक की अवधि के लिए रू0 400/– प्रति टीईयू की दर वसूल की जा रही है।

(ii). 15 फरवरी, 2007 से 14 जुलाई, 2007 तक की अवधि के लिए जेएन पत्तन टर्मिनलों में प्रहस्तित किए जा रहे वर्तमान कार्गो मिश्रण के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

माह	जेएनपीटी में प्रहस्तन (टीईयू में)		
	कुल	मिश्रित	प्रतिशत
15 से 28 फरवरी, 2007	35948	10236	28.47%
मार्च, 2007	78078	25259	32.35%
अप्रैल, 2007	72176	25532	35.37%
मई, 2007	76188	23985	31.48%
जून, 2007	75616	21213	28.05%
1 से 14 जुलाई, 2007	38052	12028	31.61%
	376058	118253	31.45%*

*32% में पूर्णांकित

(iii). प्रत्येक टर्मिनल अर्थात् जेएनपीसीटी, एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल पर प्रहस्तन लागत में भिन्नताएं हैं। चूंकि आईटीआरएचओ सेवाएं सभी तीन टर्मिनलों के लिए समान हैं, इसलिए अगले छह महीनों के लिए उपयुक्त और संगत नई दर पर पहुंचने के लिए प्रत्येक टर्मिनल में प्रचलित दरों पर आधारित औसत आधार दर की परिगणना करने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, आईटीआरएचओ के अधीन अतिरिक्त गतिविधियाँ चलाने के लिए संशोधित औसत आधार दर रू0 1260/– प्रति टीईयू तय की गई है।

टर्मिनल	दर रूपयों में
जेएनपीसीटी	1105.00
एनएसआईसीटी	1144.00
जीटीआईपीएल	1534.00
औसत	1261.00*

*रू0 1260/– में पूर्णांकित

(iv). रू0 1260/– प्रति टीईयू की संशोधित आधार दर के आधार पर, 15 अगस्त, 2007 से 14 फरवरी, 2008 तक अगले छह माह के लिए वसूल की जाने वाली नई दर नीचे दिए गए अनुसार होगी:

प्रक्षेपित कुल मात्रा टीईयू में	संभावित आईसीडी मात्रा टीईयू में (क का 30%)	मिश्रित कार्गो का %	मिश्रित मात्राओं का प्रहस्तन टीईयू में (ख का % में)	मिश्रित कार्गो के लिए अतिरिक्त लागत (ड. = 1260*घ)	अतिरिक्त लागत की वसूली प्रति टीईयू	पूर्णांकित (रूपयों में)
क	ख	ग	घ	ड.	च=ड./ख	छ
3300000	990000	0-12	118800	149688000	151	150
		12.1-18	178200	224532000	227	230
		18.1-24	237600	299376000	302	300
		24.1-30	297000	374220000	378	375
		30.1-35	**346500**	**436590000**	**441**	**440**
		35.1-40	396000	498960000	504	500
		40.1-45	445500	561330000	567	560
		45.1-50	495000	623700000	630	630

(v). 15 फरवरी, 2007 से 14 जुलाई, 2007 तक जेएन पत्तन टर्मिनलों में कॉनकॉर द्वारा आपूर्तित मिश्रित ट्रेनों के प्रतिशत निम्नवत् हैं:

माह	जेएनपीटी में प्रहस्तित ट्रेनों की सं.				
	कुल	मिश्रित	प्रतिशत	विनियुक्त	प्रतिशत
15-28 फरवरी 07	215	166	77.21%	49	22.79%
मार्च 2007	453	380	83.89%	73	16.11%
अप्रैल 2007	442	381	86.20%	61	13.80%
मई 2007	484	393	81.20%	91	18.80%
जून 2007	465	366	78.71%	99	21.29%
1-15 जुलाई 07	233	205	87.98%	28	12.02%
कुल	**2292**	**1891**	**82.50%**	**401**	**17.50%**

(vi). इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है और एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल ने आईटीआरएचओ सेवाओं के लिए रू0 440/– प्रति टीईयू की वसूली के लिए सहमति दे दी है।

(vii). 15 अगस्त, 2007 से 14 फरवरी, 2008 तक आईसीडी कंटेनरों के लिए आईटीआरएचओ सेवाओं के लिए जेएन पत्तन टर्मिनलों के माध्यम से गुजरने वाले आईसीडी कंटेनरों की संपूर्ण मात्रा पर रू0 440/– प्रति टीईयू वसूली का प्रस्ताव किया गया है।

(viii). इसके अलावा, एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के साथ विचार–विमर्श से, मिश्रित ट्रेनों के लिए घुमाव समय का औसतन 8 घंटे प्रति ट्रेन रूप में तल–चिह्न स्तर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है (तथापि, उद्यम को कम से कम संभव समय में ट्रेनों का प्रहस्तन करना होगा) बशर्ते ट्रेन प्रचालक को निम्नलिखित की पूर्ति करनी होगी:

(क). ट्रेन आगमन से कम–से–कम 24 घंटे पहले ट्रेन पूर्वानुमान, अग्रिम ट्रेन सार, स्थानापन्न टर्मिनल का प्रावधान।

(ख). केवल तत्संबंधी टर्मिनलों पर विनियुक्त रैकों का स्थानापन्न।

(ग). तत्संबंधी टर्मिनलों की आईसीडी मात्रा के अनुसार आईसीडी बक्सों के प्रहस्तन में संतुलन बनाना।

(घ). तत्संबंधी एजेंसियों को सही और समयानुसार सूचना देना।

(ड.). प्रचलित विलंबन स्तर के अनुपात में ट्रेनों की पर्याप्त संख्या लगाते हुए सुगम प्रचालनों के लिए प्रत्येक टर्मिनल प्रचालक की अधिकतम आईसीडी वस्तुसूची जेएनपीसीटी और जीटीआईपीएल के मामले में 2500 टीईयू तथा एनएसआईसीटी के मामले में 2000 टीईयू से अधिक नहीं होगी, ऐसा नहीं होने पर इसे सुपुर्दगियों/लदाई और ट्रेन घुमाव समय जिसके लिए पत्तन टर्मिनलों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, के दौरान प्रथम आगत प्रथम निकासी (एफआईएफओ) के सिद्धांत पर कई उपशाखा करने होंगे।

(च). लुधियाना, दादरी, नागपुर आदि जैसे प्रमुख आईसीडी गंतव्यों से/पर जोकि जेएनपीटी के माध्यम से गुजरने वाली कुल आईसीडी मात्रा का 80 प्रतिशत होता है, अधिकतम संभव विनियुक्त ट्रेनों का प्रावधान करना।

(छ). संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए उस टर्मिनल विशेष से उस ट्रेन पर और से ले जाए जा रहे कंटेनरों की संख्या के आधार पर रेलवे और पत्तन टर्मिनलों के साथ समन्वय से टर्मिनल विशेष पर ट्रेनों के स्थानापन्न की योजना।

3.2. चूंकि छह माह की अवधि के लिए रू0 440/— प्रति टीईयू की दर के निर्धारण के लिए जेएनपीटी द्वारा दाखिल प्रस्ताव दिनांक 30 जुलाई, 2007 में इस प्रयोजन के लिए पत्तन द्वारा गठित कोर समिति की सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए हमारे पत्र दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा जेएनपीटी से अनुरोध किया गया था कि कोर समिति की बैठक के कार्यवृत्त और प्रस्तावित दर पर कोर समिति की सिफारिशें भेजी जाएं।

4.1. एक अनुस्मारक के पश्चात, जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 द्वारा अपना प्रत्युत्तर भेज दिया था जोकि नीचे सारबद्ध किया गया है:

(i). कोर समिति ने 27 अगस्त, 2007 को हुई बैठक में आईटीआरएचओ के लिए 15 अगस्त, 2007 से वसूल की जाने वाली नई दर के मामले पर विस्तार से विचार किया था और इन मुद्दों को शेयरधारकों के बीच हल किए जाने तक 15 अगस्त, 2007 से 14 नवम्बर, 2007 तक और 3 माह की अवधि के लिए जेएनपीटी टर्मिनलों के माध्यम से गुजरने वाली संपूर्ण आईसीडी मात्रा पर रू0 400/— प्रति टीईयू की वसूली को यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की थी।

(ii). संपूर्ण आईसीडी मात्रा पर रू0 400/— प्रति टीईयू की वसूली का सिद्धांत कोर समिति द्वारा शेयरधारकों के साथ विचार—विमर्श से निश्चित किया गया था क्योंकि रू0 1300/— प्रति टीईयू पर अन्य टर्मिनल के लिए एक टर्मिनल द्वारा मिश्रित कंटेनर का प्रहस्तन करने के समय शामिल वास्तविक अतिरिक्त लागत अधिक मानी गई थी और व्यापार को स्वीकार्य नहीं था।

(iii). इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संपूर्ण आईसीडी मात्रा पर प्रति टीईयू प्रहस्तन लागत के परिकलन का सही सिद्धांत पूछा जा रहा है।

(iv). मिश्रित ट्रेनों का प्रहस्तन अपरिहार्य है। टर्मिनलों को मिश्रित ट्रेन द्वारा पहुंचाए गए कंटेनर के प्रहस्तन में अतिरिक्त गतिविधि किए जाने के लिए प्रहस्तन लागत की क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता होगी। आईटीआरएचओ के कार्यान्वयन से पहले इसपर सभी सहमत थे।

(v). मिश्रित ट्रेनों और विनियुक्त ट्रेनों के औसत घुमाव समय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(vi). जुलाई और अगस्त, 2007 के दौरान, केवल 50 प्रतिशत ट्रैक अभिग्रहण के साथ क्रमशः 535 और 571 ट्रेनें प्रहस्तित की गई थीं। औसतन जेएनपीटी 50 प्रतिशत ट्रैक अभिग्रहण के साथ जुलाई और अगस्त, 2007 के दौरान प्रतिदिन 18 से 19 ट्रेनों का प्रहस्तन कर रहा है। यह दर्शाता है कि पत्तन टर्मिनल बिना किसी मुश्किल के प्रतिदिन 25 से 30 ट्रेनों का प्रहस्तन कर सकते हैं, यदि आपूर्ति की जाती है।

(vii). (क). मिश्रित कंटेनर का औसत प्रतिशत 38 प्रतिशत मिश्रित कंटेनर की सीमा में होगा। जेएनपीटी दरमान के अनुसार, यदि 38 प्रतिशत मिश्रित कंटेनर को लेखा में लिया जाए तो प्रत्येक टीईयू पर वसूल की जाने वाली नई दर रू0 500/— होगी। एनएएनएसए द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार और एनएसआईसीटी तथा जीटीआईपीएल के साथ विचार—विमर्श से, 6 माह के नियमित अंतराल पर आईटीआरएचओ के लिए दर की वसूली करने की बजाय प्रशुल्क मद को पृथक मद रूप में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, तीन टर्मिनलों पर आईसीडी कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए दरमान में प्रशुल्क में बदलाव निम्नवत् होगा:

(आँकड़े रूपयों में सेवा कर अतिरिक्त)

टर्मिनल	वर्तमान आईसीडी प्रशुल्क		100% मिश्रित ट्रेनों पर विचार करते हुए वसूल किए जाने वाले आईटीआरएचओ प्रभार को लेखा में लेते हुए नया आईसीडी प्रशुल्क*	
	20'	40'	20'	40'
जेएनपीसीटी	1105.00	1657.00	1605.00	2657.50
एनएससीआईटी	1144.00	1716.00	1644.00	2716.00
जीटीआईपीएल	1534.00	2301.00	2034.00	3301.00

* इन प्रभारों में रू0 500/— प्रति टीईयू की दर से आईटीआरएचओ प्रभार शामिल हैं।

जब 100 प्रतिशत मिश्रित ट्रेनों का सृजन 40 प्रतिशत कंटेनर मिश्रण के साथ परिकल्पित किया गया है, विभिन्न आईसीडी से जोकि बिना पर्याप्त संभावना के बढ़ रहे हैं, कैरियर द्वारा सृजित/वहनित आयातों और निर्यातों के बीच असंतुलन के कारण 40 प्रतिशत से अधिक कंटेनर मिश्रण की हर संभावना है।

(ख). यदि कंटेनर मिश्रण 40 प्रतिशत से अधिक होता है तो मिश्रित ट्रेन के प्रहस्तन के समय निष्पादित अतिरिक्त गतिविधियों के आधार पर तत्संबंधी टर्मिनल के प्रशुल्क के अनुसार संपूर्ण आईसीडी मात्रा पर आईटीआरएचओ प्रभार वसूल करने की बजाय टर्मिनलों को आईटीआरएचओ के अधीन प्रति मिश्रित कंटेनर

प्रहस्तन प्रभारों की वसूली की अनुमति दी जाएगी। उस मामले में, टर्मिनलों के लिए प्रति मिश्रित कंटेनर वसूल किया जाने वाला आईटीआरएचओ प्रभार निम्नवत् होगाः

(आँकड़े रूपयों में)

क्रम सं.	अतिरिक्त गतिविधियाँ	प्रति मिश्रित बॉक्स वसूल किए जाने वाले प्रभार		
		जेएनपीसीटी	एनएसआईसीटी	जीटीआईपीएल
1	बफर यार्ड को परिवहन	425	440	590
2	बफर यार्ड (लिफ्ट–ऑफ) में आरटीजीसी द्वारा उतराई	340	352	472
3	आरटीजीसी (लिफ्ट–ऑन) द्वारा बफर यार्ड से टीटी पर लदाई	340	352	472
	कुल	1105	1144	1534

(viii). कोर समिति का दायरा अतिरिक्त गतिविधि के निष्पादन में अतिरिक्त लागत पर पहुंचने तक सीमित था। जेएनपीटी टर्मिनलों पर मिश्रित ट्रेनों के प्रहस्तन के समय अतिरिक्त गतिविधि के निष्पादन के लिए कंटेनर मिश्रण के आधार पर प्रति टीईयू लागत निर्धारित करने की कार्यपद्धति पर पहुंच कर, जिसे टीएएमपी और उपयोक्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया था, कोर समिति का निर्धारित कार्य समाप्त हो जाता है। कोर समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया जाएगा।

4.2. उपर्युक्त के आलोक में, जेएनपीटी ने इस प्राधिकरण से निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया हैः

(i). 15 अगस्त, 2007 से 14 नवम्बर, 2007 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए संपूर्ण आईसीडी मात्रा पर रू0 400/– प्रति टीईयू वसूल करने की यथास्थिति बनाए रखी जाए।

(ii). (क). उपर्युक्त अनुच्छेद 6.1.(vii) (क) पर तालिका के अनुसार 15 नवम्बर, 2007 से आईसीडी कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए आईटीआरएचओ प्रभारों सहित नई दरें वसूल करना।

(ख). उपर्युक्त 6.1.(vii) (ख) पर तालिका के अनुसार मिश्रित कंटेनर के लिए प्रहस्तन प्रभारों की वसूली करना, यदि कंटेनर मिश्रण का औसत प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक होता है।

(iii). उपर्युक्त को जेएनपीटी, एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के दरमान में शामिल करना।

5. तदर्थ आधार पर रू0 400 प्रति टीईयू की दर के अनुमोदन के लिए इस प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उपयोक्ताओं ने तर्क दिया था कि विनियुक्त कंटेनर टर्मिनलों पर आईसीडी कंटेनरों की सुपुर्दगी देना कॉनकॉर की जिम्मेदारी है। कॉनकॉर से अनुरोध किया गया था कि वह मिश्रित ट्रेनों द्वारा लाए जाने वाले आईसीडी कंटेनरों की सुपुर्दगी के संबंध में अपने सांविदिक दायित्व को स्पष्ट करे। जेएनपीटी ने दावा किया है कि कॉनकॉर अंतर्देशीय मार्ग बिल उस टर्मिनल को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए जारी करता है जहां इसे अंत में सुपुर्द किए जाने की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह कॉनकॉर के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह तत्संबंधी पत्तन टर्मिनलों में कंटेनर का वहन/लदाई करे। तथापि, कॉनकॉर का कहना है कि कंटेनरों के रेल परिवहन के लिए कॉनकॉर द्वारा जारी किया गया बिल इसके अंतिम रेल हैड गंतव्य पर कंटेनरों की सुपुर्दगी के लिए है। रेलवे साइडिंग सभी टर्मिनलों नामतः जेएनपीटी, एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के लिए एकसमान है, इसलिए, विशिष्ट टर्मिनल पर कंटेनरों की सुपुर्दगी की जिम्मेदारी पत्तन की है।

6. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः

(i). जेएनपीटी में जेएनपीटी और निजी टर्मिनल जानते हैं कि आदेश दिनांक 28 जून, 2007 द्वारा अनुमोदित रू0 400/– प्रति टीईयू की दर की वैधता 14 अगस्त, 2007 को समाप्त होगी। 14 अगस्त, 2007 के बाद की अवधि के लिए दर के निर्धारण हेतु 20 जुलाई, 2007 तक कोर समिति की सिफारिश के साथ, जिसने रू0 400/– प्रति टीईयू की दर की सिफारिश की थी, एक प्रस्ताव दाखिल करने के लिए जेएनपीटी को दी गई सलाह के बावजूद, इस प्राधिकरण को जेएनपीटी से उसके पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2007 द्वारा रू0 440/– प्रति टीईयू की दर वसूल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसके साथ कोर समिति की सिफारिश भी नहीं लगाई गई थी। पत्र दिनांक 3 अगस्त, 2007 द्वारा कोर समिति की सिफारिश के बिना दिनांक 30 जुलाई, 2007 के प्रस्ताव में केवल अपूर्णता का उल्लेख किया गया था कि कोर समिति की सिफारिश प्राप्त करने के लिए पत्तन ने कदम उठाए हैं। कोर समिति की सिफारिशें अक्तूबर, 2007 में इस प्राधिकरण की जानकारी में लाई गई थीं।

(ii). (क). मिश्रित ट्रेनों द्वारा लाए गए आईसीडी कंटेनरों की विनियुक्त कंटेनर टर्मिनलों को सुपुर्दगी के संबंध में कॉनकॉर के सांविदिक दायित्व के संदर्भ में कॉनकॉर और जेएनपीटी के बीच मतभेद है। इस मुद्दे का कॉनकॉर और जेएनपीटी के बीच समाधान निकाला जाना चाहिए।

(ख). ट्रेनों के स्थानापन्न के संदर्भ में, जेएनपीटी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने किसी लाइन विशेष पर ट्रेनों के स्थानापन्न पर कोई पाबन्दी अधिरोपित नहीं किया है। पत्तन द्वारा यथा उल्लिखित, रेलवे कैरियर के सहयोग से किसी लाइन विशेष पर ट्रेन के स्थानापन्न के लिए सहमत हैं।

(iii). जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 द्वारा, साथ–ही–साथ, 15 अगस्त, 2007 से 14 नवम्बर, 2007 तक 3 माह की अवधि के लिए संपूर्ण आईसीडी मात्रा पर रू0 400/– प्रति टीईयू की वसूली की यथास्थिति बनाए रखने का प्रस्ताव किया था। यह उल्लेखनीय है कि कोर समिति, जिसने पहले 15 फरवरी, 2007 से 14 अगस्त, 2007 तक छह माह की अवधि के लिए रू0 400/– प्रति टीईयू की दर की सिफारिश की थी, ने भी शेयरधारकों द्वारा इन मुद्दों को हल किए जाने तक, 15 अगस्त, 2007 से 14 नवम्बर, 2007 तक और 3 माह की अवधि के लिए जेएनपीटी में टर्मिनलों के माध्यम से गुजरने वाली संपूर्ण आईसीडी मात्रा पर रू0 400/– प्रति टीईयू की वसूली की यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की है।

(iv). (क). 15 फरवरी, 2007 से 14 नवम्बर, 2007 तक की अवधि के लिए पहले अनुमोदित रू0 400/– प्रति टीईयू की दर और 15 अगस्त, 2007 से 14 नवम्बर, 2007 तक और 3 माह की अवधि के लिए रू0 400/– की दर के विस्तारण के लिए जेएनपीटी का वर्तमान प्रस्ताव पृथक्कृत गतिविधियों के लिए अनुमोदित रू0 1300/– के समेकित प्रभार के आधार पर प्राप्त दर है।

(ख). चूंकि दरमान में प्रकट हो रहे पृथक्कृत प्रचालनों के लिए प्रशुल्क संदर्भित अलग–अलग सेवाएं प्रदान करने की लागत पर आधारित नहीं है, परंतु टर्मिनलों की समग्र लागत/राजस्व स्थिति की संख्या पर प्राप्त है, इसलिए इस प्राधिकरण ने 14 अगस्त, 2007 तक की अवधि के लिए तदर्थ दर अनुमोदित करते हुए अपने पूर्ववर्ती आदेश में पत्तन को अनुगामी अवधि के लिए लागत ब्योरों के साथ अपना प्रस्ताव दाखिल करने का निदेश दिया था। तथापि, अब प्राप्त प्रस्ताव के साथ कोई लागत विश्लेषण नहीं लगाया गया है परंतु पृथक्कृत प्रचालनों के लिए लागू प्रशुल्क और मिश्रित ट्रेन के अनुपात पर विश्वास किया जाता है। प्रासंगिक गतिविधियां, जोकि तत्संबंधी दरमान निर्धारित करते समय पृथक्कृत आवश्यकताएं मानी गई थीं, अब मिश्रित ट्रेनों के प्रहस्तन के मामले में नियमित आधार पर प्रदान की जा रही है। अतः सेवाएं प्रदान करने की लागत के संदर्भ में इन दरों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है; और, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, पत्तन द्वारा ऐसा कोई विश्लेषण उपलब्ध नहीं करवाया गया है। किन्तु, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि टर्मिनलों द्वारा संबद्ध सेवा प्रदान की जा रही है और कोर समिति, जिसमें टर्मिनलों और प्रमुख पत्तन उपयोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ने वर्तमान तदर्थ दर को 14 नवम्बर, 2007 तक जारी रखने का समर्थन किया है, यह प्राधिकरण तदर्थ दर की वैधता कुछ और समय के लिए बढ़ाता है।

(v). 14 नवम्बर, 2007 से आगे प्रशुल्क व्यवस्था के लिए जेएनपीटी का प्रस्ताव पहले अपनाई गई कार्यपद्धति से थोड़ा भिन्न है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस प्रस्ताव के साथ कोई लागत विश्लेषण नहीं लगाया गया है, जोकि प्रस्तावित दरों को न्यायोचित ठहराने के लिए आवश्यक है। अतः यह प्रस्ताव जेएनपीटी को इस सलाह के साथ वापस किया जा रहा है कि लागत विश्लेषण के साथ विस्तृत प्रस्ताव दिनांक 31 मार्च, 2008 तक दाखिल किया जाए। जब ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होगा, तब इसपर सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

(vi). हालांकि पत्तन ने रू0 400/– प्रति टीईयू की पूर्ववर्ती दर केवल 14 नवम्बर, 2007 तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है, यह प्राधिकरण, जेएनपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित समय पर विचार करते हुए, वर्तमान दर की वैधता को दिनांक 30 जून, 2008 तक बढ़ाने का निर्णय लेता है।

(vii). रेल द्वारा संचालित आईसीडी कंटेनरों के मामले में 14 नवम्बर, 2007 के बाद की अवधि के लिए प्रशुल्क व्यवस्था हेतु उसके पत्र दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 में शामिल जेएनपीटी के अन्य प्रस्तावों के साथ कोर समिति की सिफारिशें नहीं हैं, इस प्रकार, उन्हें निपटान के लिए पृथक कार्यवाही में लिए जाने की आवश्यकता है।

7. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित अनुमोदित करता है:

(i). आदेश दिनांक 28 जून, 2007 द्वारा अनुमोदित जेएनपीटी, एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के टर्मिनल पर रेल द्वारा संचालित आईसीडी कंटेनरों के अंतर–टर्मिनल रेल प्रहस्तन प्रचालनों के लिए रू0 400/– प्रति टीईयू की दर की वैधता को 15 अगस्त, 2007 से 30 जून, 2008 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। जेएनपीटी, एनएसआईसीटी और जीटीआईपीएल के दरमान तदनुसार संशोधित किए गए हैं।

(ii). जेएनपीटी को लागत ब्योरों के साथ सही प्रकार से विश्लेषित प्रस्ताव दिनांक 31 मार्च, 2008 तक दाखिल करने का निदेश दिया जाता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष